एसआरएस विज्ञापन और विपणन पी. वी. टी. लिमिटेड। ओआरएस. वी.

श्री कमल गर्ग और ए. एन. आर.

(सिविल अपील संख्या 2022 की 1302-1303) 16 फरवरी, 2022

/

[न्यायमूर्ति एम**.** आर**.** शाह और न्यायमूर्ति बी**.** वी**.** नागरत्ना।**]**

भारत का संविधान-रिट याचिका-उच्च न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र से अधिक-प्रतिवादी सं।1-रिट याचिकाकर्ता ने वसूली प्रमाण पत्र के अनुसरण में नीलाम की गई संपत्तियों को खरीदा जो बैंक के पक्ष में थी-बोली मूल्य का 25 प्रतिशत बकाया राशि के रूप में जमा किया गया-प्रतिवादी नं।1 मामले में कुछ स्पष्टता की मांग करते हुए आवेदन दायर किया गया, बैंक ने जवाब दिया-हालांकि, इसके बाद वसूली अधिकारी ने आवेदन को खारिज कर दिया और जमा की गई राशि का 10 प्रतिशत जब्त कर लिया-प्रत्यर्थी नं.1, डी. आर. टी. द्वारा खारिज कर दिया गया-डी. आर. ए. टी. के समक्ष अपील, कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई-प्रतिवादी-बैंक ने यहां संपत्ति की नीलामी करने की मांग की-डी. आर. ए. टी. से अंतरिम राहत पाने के लिए आवेदन को प्रस्तावित नीलामी की तारीख के बाद फिर से अधिसूचित किया गया-अंतरिम राहत आवेदन को निष्फल होने की आशंका, प्रतिवादी नं.1 उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका-उच्च न्यायालय द्वारा निपटाई गई रिट याचिका, हर्जाने के साथ शेष राशि जमा करने का और अवसर दिया गया-समीक्षा याचिका, खारिज-मूल प्रतिवादी नं.2-मूल उधारकर्ता-आयोजितः उच्च न्यायालय के समक्ष जिस बात को चुनौती दी गई थी वह थी डी. आर. ए. टी. के समक्ष अपील लंबित रहने तक अंतरिम राहत न देना-हालाँकि, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका का फैसला ऐसे किया जैसे कि वह डी. आर. ए. टी. के अंतिम निर्णय पर विचार कर रहा हो-डी. आर. टी. द्वारा पारित आदेश जिसमें नीलामी खरीदार द्वारा जमा की गई 10 प्रतिशत राशि को जब्त करने के वसूली अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की गई थी, डी. आर. ए. टी. द्वारा अभी तक निर्णय नहीं लिया गया था-मुख्य अपील का निर्णय डी. आर. ए. टी. द्वारा गुण-दोष के आधार पर किया जाना बाकी था-उच्च न्यायालय ने डी. आर. ए. टी. के समक्ष कार्यवाही को निष्फल बना दिया क्योंकि आक्षेपित निर्णय के बाद डी. आर. ए. टी. द्वारा निर्णय लेने की और कुछ भी आवश्यकता नहीं है-उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से परे चला गया-उच्च न्यायालय

द्वारा पारित निर्णय को दरकिनार कर दिया गया-अपील पर निर्णय लेने के लिए डी. आर. ए. टी.

/

/

/

/

/

/

254

255

एसआरएस विज्ञापन और विपणन पी. वी. टी. लिमिटेड। ओआरएस. वी.श्री कमल गर्ग और ए. एन. आर.

/

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2022 की सिविल अपील संख्या 1302-1303।

नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 22.11.2021 और 03.12.2021 के निर्णय और आदेश से (ग) 2021 की No.12530 और 2021 की समीक्षा याचिका No.197।

/

रितेश कुमार, अपीलार्थियों के अधिवक्ता।

धनंजय कुमार सिंह, अमित, सुश्री काजल रानी, जितेंद्र कुमार, सुरेंद्र सिंह राणा, भरत जे. जोशी, अनबरसन नाथर पॉल, इक्षित सिंघल, विपिन कुमार सक्सेना, मनीष सक्सेना, सुश्री सुजाता के. मुनि, कुंवर सिद्धार्थ सिंह, मुकेश कुमार सिंह के लिए मुकेश कुमार सिंह, सोम राज चौधरी, समरेंद्र कुमार, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

/

1. दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2021 की रिट याचिका (सिविल) No.12530 और 2021 की समीक्षा याचिका No.197 में पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और दिनांक 22.11.2021 के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, मूल प्रतिवादी संख्या 2 ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

2. वह प्रत्यर्थी संख्या 1-मूल रिट याचिकाकर्ता नीलामी खरीदार था, जिसने उन संपत्तियों को खरीदा जो वसूली प्रमाणपत्र No.6/2016 के अनुसरण में नीलाम की गई थीं, जो निगम बैंक (अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ विलय) के पक्ष में थी।संपत्तियों का आरक्षित मूल्य Rs.54 लाख निर्धारित किया गया था।प्रत्यर्थी संख्या 1-मूल रिट याचिकाकर्ता ने सबसे अधिक Rs.85 लाख की बोली लगाई।उक्त बोली लगाने के बाद और Rs.21 की राशि जमा करने के बाद, 25,000/- (बोली मूल्य का 25 प्रतिशत होने के नाते) प्रत्यर्थी सं।1 – मूल रिट याचिकाकर्ता ने मामले में कुछ स्पष्टता की मांग करते हुए वसूली अधिकारी के समक्ष एक आवेदन दायर किया।बैंक ने भी इसका जवाब दिया।हालाँकि, इसके बाद वसूली अधिकारी ने 28.11.2019 पर याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया और उसके द्वारा जमा की गई राशि का 10 प्रतिशत जब्त कर लिया।

/

/

/

2.1 वसूली अधिकारी के आदेश से व्यथित, प्रतिवादी संख्या 1 ने डी. आर. टी.-II, दिल्ली के समक्ष 19.12.2019 पर 2019 की अपील No.21 को प्राथमिकता दी थी।उक्त अपील डी. आर. टी.-II द्वारा दिनांक 18.03.2020 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दी गई।इसके बाद उत्तरदाता संख्या 1 यहाँ-मूल रिट याचिकाकर्ता ने No.91 वाली अपील को प्राथमिकता दी

/

2019 डी. आर. टी. के दिनांकित 18.03.2020 के आदेश को डी. आर. ए. टी. के समक्ष चुनौती दी गई।डी. आर. ए. टी. ने हालांकि उन्हें कोई अंतरिम राहत नहीं दी और इसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी-बैंक ने संपत्ति को 10.11.2021 पर नीलामी के लिए रखने की मांग की।डी. आर. ए. टी. से अंतरिम राहत पाने के लिए आवेदन को प्रस्तावित नीलामी की तारीख के बाद आई. डी. 1 पर फिर से अधिसूचित किया गया था और इसलिए यह आशंका जताते हुए

कि उनका अंतरिम राहत आवेदन निष्फल हो जाएगा, प्रतिवादी संख्या 1 ने यहां उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान रिट याचिका को प्राथमिकता दी।यद्यपि डी. आर. ए. टी. के समक्ष अपील लंबित थी और जिसे उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, वह नीलामी के खिलाफ कोई अंतरिम राहत नहीं देने के संबंध में थी, लेकिन आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने मूल रिट याचिकाकर्ता को 5 लाख रुपये के नुकसान के साथ शेष राशि जमा करने का एक और अवसर देकर रिट याचिका का निपटारा कर दिया है।उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया हैः

/

/

“13. उपरोक्त परिस्थितियों में, हम याचिकाकर्ता को अगले दो हफ्तों के भीतर 5 लाख रुपये के नुकसान के साथ शेष राशि जमा करने का एक अवसर प्रदान करते हैं।उक्त अवधि के भीतर प्रत्यर्थी बैंक में जमा किया जाएगा।यदि इन शर्तों में जमा किया जाता है, तो प्रतिवादी बैंक याचिकाकर्ता को संपत्तियों का कब्जा देने के लिए आगे बढ़ेगा।वसूली अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता द्वारा जमा की गई राशि का 25 प्रतिशत, अद्यतन ब्याज के साथ, अगले 10 दिनों के भीतर प्रतिवादी बैंक को जारी करे और बिक्री की पुष्टि करे।वसूली अधिकारी याचिकाकर्ता के शीर्षक को पूर्ण करने के लिए विधि के अंतर्गत सभी कदम उठाएगा। "

/

/

2.2 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, मूल प्रतिवादी संख्या 2-मूल उधारकर्ता ने 2022 की वर्तमान सिविल अपील संख्या 1302-1303 को प्राथमिकता दी है। 2.3 2021 की रिट याचिका (सी) No.12530 में पारित दिनांक 22.11.2011 के निर्णय और आदेश के बाद, एक समीक्षा याचिका दायर की गई थी जिसे उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है जो 2022 की सिविल अपील Nos.1302-1303 का विषय है।

/

/

3. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और आक्षेपित निर्णय और आदेश का अध्ययन किया है।

3.1 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को देखने के बाद, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित वही टिकाऊ नहीं है।

/

एसआरएस विज्ञापन और विपणन पी. वी. टी. लिमिटेड। ओआरएस. वी.श्री कमल गर्ग और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

/

3.2 उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की ठीक से सराहना नहीं की है कि उसके समक्ष जिस बात को चुनौती दी गई थी, वह डी. आर. ए. टी. के समक्ष अपील लंबित रहने तक किसी भी अंतरिम राहत के गैर-अनुदान के संबंध में थी। डी. आर. ए. टी. द्वारा योग्यता के आधार पर मुख्य अपील पर विचार किया जाना बाकी था।उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने रिट याचिका का फैसला किया है और उसका निपटारा किया है जैसे कि उच्च न्यायालय डी. आर. ए. टी. के अंतिम निर्णय पर विचार कर रहा हो। डी. आर. टी. द्वारा नीलामी खरीदार द्वारा जमा की गई 10 प्रतिशत राशि को जब्त करने के लिए वसूली अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करने वाला आदेश डी. आर. ए. टी. द्वारा अभी तक तय नहीं किया गया था। इसलिए, उच्च न्यायालय अपने समक्ष कार्यवाही के दायरे और दायरे से परे चला गया है।

/

/

3.3 आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित करके उच्च न्यायालय ने डी. आर. ए. टी. के समक्ष कार्यवाही को निष्फल बना दिया है, क्योंकि आक्षेपित निर्णय और आदेश के बाद डी. आर. ए. टी. द्वारा आगे कुछ भी निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित करके अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है।

/

4. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील सफल होती हैं। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और खारिज कर दिया जाता है।अब, डी. आर. ए. टी. अंततः विधि के अनुसार और अपने गुण-दोष के आधार पर 2019 की अपील No.91 का निर्णय और निपटान करेगा।डी. आर. ए. टी. को निर्देश दिया जाता है कि वह वर्तमान आदेश की प्राप्ति की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर उक्त अपील पर जल्द से जल्द निर्णय ले और उसका निपटारा करे।

/

वर्तमान अपीलों को तदनुसार उपरोक्त सीमा तक अनुज्ञात जाती है।व्यय सम्बन्धी कोई आदेश नहीं।

/

अपीलों की अनुज्ञात गई।

/

/